


<p>तारीख हुकम</p>	<p>अपील संख्या 30/22 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुरेश कुमार vs कुमलदेवी</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>24/3/26</p>	<p>अधिवक्ता अपीलान्त सन्तु। अधिवक्ता अपीलान्त व अपीलान्त को न्यायालय की ओर से बार-बार घराने ल्यायी गयी, लेकिन इनकी ओर तैय्यार नही हुआ। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। शरण में आदेशिका दिनांक 6/11/2025 द्वारा अधिवक्ता अपीलान्त को सेपो. सं. 1 से 8 के ^{पंजीकृत} लम्बे फु: पेडा करके लेवु निर्देशित किया गया। लेकिन अधिवक्ता अपीलान्त को आदिनांक तक पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी आप भी न्यायालय आदेशों की तर्कनील नही गयी। अतः उक्त अपील अदम हाय्यरी। पेशकी। तर्कनील में बारिश की जाती हैं। पत्रावली फौलद शुभार होकर बाद आवश्यक तर्कनीली दाखिल दफ्तर हो।</p> <p> सज्जद अपील प्राधिकारी पाली</p>	